

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 253/2019

निर्णय दिनांक :- 27.8-19

उनवान

1. लल्लू लाल

2. चन्दालाल

पुत्रान किशना जाति मीणा निवासी रलावता तहसील चाकसू
जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मूलचन्द

2. मेघा

पुत्रान हीरा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा ग्राम पंचायत
झाँपदा तहसील लालसोट जिला दौसा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला
जयपुर

4. उप-पंजियक कोटखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

वादीगण ने वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया कि :-




उ अधिकारी
चाकसू (जयपुर)


वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के भाई बंध हैं जिनकी पैतृक सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 152, 260, 681, 697, 703, 799, 860, 881, 898, 913/1178, 917, 923, 927, 961, 961, 969, 981, 986, 992, 1022 किता 19 रकबा 2.63 है० भूमि वाके ग्राम रलावता तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त सैकड़ो वर्षो से वादीगण का व पूर्व में वादीगण का ही चला आ रहा हैं उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता किशना पुत्र श्योबक्स के नाम खातेदारी में चली आ रही है किशना पुत्र श्योबक्स के नाम खातेदारी में चली आ रही है किशना पुत्र श्योबक्स य मृत्यु हो चुकी है जिस के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा खानदान पैरा संख्या अनुसार है। इस प्रकार उक्त वारिस श्योबक्स जी के है इनके अलावा अन्ये कोई और विधिक वारिसान नहीं है जिससे उक्त आराजी में वादीगण का जन्मजात हित निहित हैं। वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता श्योबक्सन जी के नाम ग्राम छोटी झांपदा तहसील लालसोट में भी खातेदारी आराजी थी। उक्त आराजी को शुरू से आज तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा ही काश्त करता आ रहा था तथा ग्राम रलावता तहसील चाकसू मे श्योबक्स की नाम कि खातेदारी आराजी को हम वादीगण काश्त करते चले आ रहे थे। तथा वर्तमान में भी इसीनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा अजय का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता किशना व प्रतिवादीगण के

वाकसू (जयपुर)


पिता हीरा दोनो ने मिल बैठकर सब श्योबक्स जी का स्वर्गवास हुआ था तब यह तय किया था: कि हम वादीगण के पिता किशना तो ग्राम रलावता वाली जमीन रखेगा जिसमे मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। तथा ग्राम छोटी झांपंदा तहसील लालसोट में जो जमीन है उसको प्रतिवादीगण ही काशत करेगा उसमे मेरा कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। इसीनुसार हम वादीगण के पिता किशना ने तो ग्राम छोटी झापदा तहसील, लालसोट में स्थित आराजी में अपना हिस्सा तैय अनुसार प्रतिवादीगण के पिता के नाम करवा दिया तथा प्रतिवादीगण के पिता वादीगण के पिता को कहता रहा कि जब भी गांव में कोई भी केम्प आयेगा मैं मेरा हिस्सा ग्राम रलावता वाली जमीन तुम्हारे नाम करवा दुगों। वैसे भी हम अपनी-अपनी सहमति वाली जमीनो पर ही काबिज है तुम तो काशत करते रहा। तथा आश्वासन देता आ रहा था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने से अब प्रतिवादीगण उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने पर तथा आये दिन ऐलानीया धमकिया दे रहे है। जिससे वादीगण विवादग्रस्त आराजी किय खातेदारी आराजी कि घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर काशत का काम कर रहा था, तो दिनांक 05/12/2010 को प्रतिवादी ग्राम रलावंता में आये और वादीगण को उक्त आराजी पर. काशत करने से मना करने लग गये कि भूमि हमारे पिता के नाम है तब वादीगण ने संमझाया


उपखण्ड अधिकारी
चाकरा (जयपुर)


कि हमारी जमीन ग्राम छोटी झापदा तहसील लालसोट में थी उसको तुम्हारे पिता को इस जमीन के बदले, में देकर आये । परन्तु प्रतिवादीगण तो उक्त आराजी बाबत कहने लगे कि अभी हमारे नाम जमीन का नामान्तकरण नहीं खुला है खुलने के पश्चात तुम्हे जगरन बेदखल करके रहेगे तुम चाहे सो कर लेना तब वादीगण नम्रतापूर्वक सुनकर रह गये । तथा वादीगण का एडपर्स पगेशन निरन्तर चला आ रहा है जिससे भी वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित फरमाया जावे । वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी की. खातेदारी अपने नाम घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण बे "जस्तिय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे । जिससे वो वादीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलन्द्राजी व मजाहमत बैजा न स्वयं करे न अन्य से करावे । वादीगण के दोव के लिये वाद कारण दिनांक 05.12.2010 को जब प्रतिवादीगण द्वारा अपने पिता के नाम जमीन होने तथा जबरन बेदखल करने तथा जमीन का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने की ऐलानिया धमकीया देने पर उत्पन्न हुआ । जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है । प्रतिवादी संख्यां. 3 भूमिधारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 उपपंजियक शाखा होने से पखकार बनाये गये है दावे में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गई है । विवादग्रस्त भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल है । वादीगण का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है । वाद बहक


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)


वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिग्री किया जाकर बादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 में से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तथा इसका अंकन भी राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत वैजा ने स्वयं करे न अन्य से करावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कि गया तो प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजीर आये व दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि वाद पत्र का मद नं. आंशिक रूप से स्वीकार है इस मद में यह लिखना कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक हो स्वीकार है किन्तु वादीगण द्वारा यह लिखना कि कब्जा काश्त वादीगण का ही हो स्वीकार नहीं है कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 हिस्से पर है जो वर्षों से लगातार चला आ रहा है। वाद पत्र का मद नं. 2 स्वीकार है साथ ही यह लिखना भी उचित है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का ही नहीं बल्कि मिन प्रतिवादीगण का भी जन्म जात हित निहित है। वाद पत्र का मद नं. 3 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है ग्राम छोटी झांपदा में श्योबक्स जी के नाम कभी भी कोई जमीन नहीं रही इसके अलावा वादीगण कौनसी जमीन की बात कर रहे है उसके खसरा नं. आदि भी नहीं लिखे है ग्राम छोटी झांपदा में मिन प्रतिवादीगण के पिता हीरा की स्वयं की निजी आय से अर्जित


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भूमि है जिससे श्योबक्स जी या वादीगण या इनके पिता किशना का कोई सम्बन्ध नहीं है चूंकी ग्राम छोटी झांपदा की जमीन मिन प्रतिवादीगण की निजी है तो उस पर स्वाभाविक तौर से मिन प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त होगा जंहा तक ग्राम रलावता की वादग्रस्त जमीन का सम्बन्ध है तो यह जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक है तथा इस पर कब्जा काश्त भी वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार है जो प्रारम्भ से ही वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओ के समय से ही है। वाद पत्र का मद नं. 4 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है, श्योबक्स जी के स्वर्गवास पर या आज तक कभी भी इस मद में बताये गई बात नहीं हुई ना ही यह यह हो सकती थी क्योंकि ग्राम छोटी झांपदा की जमीन मिन प्रतिवादीगण की निजी थी इसके अलावा वादीगण का यह कहना " कि इन्होने तो छोटी झांपदा में स्थित आराजी मे अपना हिस्सा तय अनुसार प्रतिवादीगण के नाम के नाम करवा दिया" कतई मिथ्या तथ्य है यदि कभी वादीगण के नाम छोटी झांपदा की जमीन रही हो तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण के नाम करवा दिया हो तो वादीगण बताये कि वो कौनसी जमीन हैं? उसके खसरा नं, क्या है ? किस दिनांक को प्रतिवादीगण के नाम करवाई ? उसका नामान्तकरण नम्बर क्या है ? किन्तु वादीगण को ऐसा कुछ नहीं बताया इससे साफ स्पष्ट होता है कि वादीगण पूर्णतया झुठ बोल रहे है इसके अलावा इस मद मे यह लिखना कि वादग्रस्त जमीन को वादीगण के नाम लगवाने की कोई बात कभी प्रतिवादीगण को कही हो पूर्णतया


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मिथ्या , बनावटी व असम्भव है। वाद पत्र का मद नं. 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है दिनांक 05.12.2010 को कोई घटना घटित नहीं हुई बल्कि मिन प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं वादीगण ने केवल दावा पेश करने की गरज से ऐसे तथ्य लिखे हैं। वादीगण का एडवर्स पजैशन कंही भी नहीं है वादीगण का स्वयं के 1/2 हिस्से पर कब्जा जरूर है उसे वादीगण चाहे कब्जा कहे चाहे एडवर्स है जंहा तक मिन प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से की बात है तो उस पर जब कब्जा ही मिन प्रतिवादीगण का चला आ रहा है तो वादीगण का कब्जा या एडवर्स कब्जा होना असम्भव बात है तथा समस्त तथ्य काल्पनिक है वाद पत्र का मद नं. 6 गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 7 गलत है स्वीकार नहीं है दिनांक 05.12.2010 या किसी भी अन्य दिनांक को वादी को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र का मद नं. 8 कानूनी है जबाव आवश्यक नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 9 कानूनी है जबाव आवश्यक नहीं है। वाद पत्र का मद नं. 10 गलत है स्वीकार नहीं है वादीगण के दावे के कथनो के अनुसार भी वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है तथा खारिज होने योग्य हैं वाद पत्र का मद नं. 11 गलत है स्वीकार नहीं है। इस मद के उप मद (क) (ख) (ग) में चाहे गये अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जबाव दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का


उपखण्ड अधिकारी
घावसू (जयपुर)

वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। दावे का जवाब दावा पेश होने पर दावा जवाब दावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी जो इस प्रकार है।

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का जन्मजात हित निहित है।

—वादीगण

2. आया वादीगण के पिता किशना व प्रतिवादीगण के पिता हीरा ने आपस में जमीने बांट ली थी।

—वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का एडवर्स पजेशन चला आ रहा है।

—वादीगण


4. आया ग्राम छोटी झांपदा तहसील लालसोट की जमीन प्रतिवादीगण की निजी आय की सम्पत्ति है।

—प्रतिवादीगण


5. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2, 1/2 पर कब्जा काश्त है।

—प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ।



सपखण्ड अधिकारी
राकूर (जयपुर)

तनकीयात कायम किये जाने पर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी साक्ष्य के दौरान वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया जा राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया, राजीनामा पक्षकारान के मध्य इस प्रकार हुआ कि :- उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य समाज के पंच पटेलों द्वारा आपस में राजीनामा करवा दिया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत वादग्रस्त आराजी भूमि पैतृक भूमि है। जिससे हम प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण का भी 1/2 हक व हिस्सा निहित है। वादीगण 1/2 भाग की भूमि पर शुरू से आज तक मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो गया। जिससे हम प्रतिवादीगण के नाम में से वादीगण को 1/2 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इसी अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार वाद को डिक्री फरमाया जावे। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा आज वादी व प्रतिवादीगण मय वकील द्वारा पेश किया गया । राजीनामा पढकर सुनाया गया तो राजीनामा सुनकर समझकर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे निशान किये। वादी को लल्लू व चन्दालाल को पहिचान कर्तात के



उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)



मदनलाल चोधरी एड0 व प्रतिवादी मेंघा को पहिचान कर्ता के हस्ताक्षर किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पेश होने पर राजीनामा की बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो पक्षकारान वकील द्वारा दोराने बहस दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना जहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम रलावता की जमाबंदी 2067-67, 2063-66, 2034-36, 2037-40, 2008-23 पारिवारिक समझौता/ग्राम झापदा तहसील लालसोट की जमबांदी 2065-68, 2009-22, 2014 से 2027 व सं0 2038-41 जमाबंदी रलावता, पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व दावा जवाब दावा व राजीनामा एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादीगण व प्रतिवादीगण श्योबक्स के वारिसान है जो श्योबक्स के नाम छोटी झांपदा तहसील लालसोट में खातेदारी आराजी थी उक्त आराजी को शुरू से ही आज तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा काशत करता था ग्राम रलावता तहसील कोटखावदा में श्योबक्स के नाम की जमीन को वादीगण करते चले आ रहे है। व वर्तमान में भी इसी अनुसार काबिज काशत है, वादीगण के पिता किशना व प्रतिवादीगण के पिता हीरा दोने ने मिल बैठकर श्योबक्स का स्वर्गवास हुआ तब तय किया कि वादीगण के पिता किशना तो रलावता की जमीन रखेगा जिसमें प्रतिवादीगण के पिता का कोई हक नही रहेगा व छोटी झांपदा तहसील लालसोट की जमीन प्रतिवादीगण ही काशत करेंगे उसमें वादीगण का कोई


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हक नही रहेगा। वादीगण के पिता किशना ने तो झांपदा की जमीन प्रतिवादीगण के पिता के नाम करवा दी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा रलावता की जमीन वादीगण के नाम नही करवायी जिस संबंध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश हुआ उक्त राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की जमांबदी खतौनी बन्दोबस्त 2008 से 2023 में श्योबक्स के नाम अंकित है जमाबंदी संवत 2034-36 में हीरा पुत्र श्योबक्स के नाम है जो श्योबक्स के द्वारा दोडी गयी भूमि है जो वादीगणा व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने से मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 152, 260, 681, 697, 703, 799, 860, 881, 898, 913/1178, 917, 923, 927, 961, 961, 969, 981, 986, 992, 1022 किता 19 रकबा 2.63 है0 भूमि वाके ग्राम रलावता तहसील कोटखावदा में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू